



यू.जी.सी.- रेमेडियल कोचिंग सेन्टर

UGC-Remedial Coaching Centre

डॉ.हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर (म.प्र.)

DOCTOR HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (M.P.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय A CENTRAL UNIVERSITY)



ज्ञान-विज्ञान विभूषण

E-mail:-coordinatorrcp@dhsgsu.edu.in

Ph. no. 07582-297131

Rcc/2020/428

Date:-07.12.2020

यू.जी.सी.-रेमेडियल कोचिंग के अंतर्गत निःशुल्क संचालित कोर्स-अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ (NCL)अल्पसंख्यक समुदाय एवं सामान्य वर्ग के बी.पी.एल/EWS श्रेणी के विद्यार्थियों के लिये-

सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि रेमेडियल कोचिंग सेन्टर में स्नातक(UG)एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क ऑनलाइन कक्षाएँ संचालित की जा रही हैं, जो विद्यार्थी प्रवेश पाने के इच्छुक है वह अतिशीघ्र रजिस्ट्रेशन कराकर अपना स्थान सुरक्षित करें। जो विद्यार्थी पूर्व में रजिस्ट्रेशन करा चुके है उन्हें रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है।


S.No	Course	Registration Link
1.	English Language Proficiency (अंग्रेजी भाषा दक्षता)	https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9g1eb8InuzPbl0lyWUJE3pvgFiUB0ha81nH8gifxSjy3O3A/viewform?usp=pp_url


रजिस्ट्रेशन प्रारंभ :- दिनांक 14 दिसम्बर 2020 से

Platform :- Google Meet

विद्यार्थी उक्त कोचिंग प्रोग्राम में प्रवेश हेतु कार्यालयीन दिवसों में नामांकन कराकर अपना स्थान सुरक्षित करें।

(विद्यार्थियों के सूचनार्थ-कल्याणार्थ नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।)


प्रो. राजेश गौर
उप-समन्वयक
रेमेडियल कोचिंग सेन्टर
डॉ. हरीसिंह गौर वि.वि. सागर (म.प्र.)


प्रो. चंदा बैन
समन्वयक
रेमेडियल कोचिंग सेन्टर
डॉ. हरीसिंह गौर वि.वि. सागर (म.प्र.)

प्रतिलिपि:-

- 1.माननीय कुलपति जी के निजी सचिव को सूचनार्थ
- 2.आदरणीय कुलसचिव के निजी सहायक को सूचनार्थ
- 3.अधिष्ठाता-शोध एवं विकास
- 4.समस्त अधिष्ठाता एवं संकायाध्यक्ष
- 5.मीडिया अधिकारी/बेव सेल

ऑनलाइन रेमेडियल कोचिंग हेतु आवश्यक निर्देश

1. विद्यार्थियों को पंजीकरण हेतु ऑनलाइन फार्म भरना होगा।
2. SC/ST विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक है।
3. OBC/NCL विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से जाति प्रमाण पत्र व आय प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक है।
4. Minority (अल्पसंख्यक) विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से आय प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक है।
5. General/EWS/BPL विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से आय प्रमाण पत्र/बी.पी. एल/ई.डब्ल्यू.एस प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक है।
6. कक्षाओं का संचालन Google Meet के माध्यम से किया जायेगा।
7. कक्षाओं से संबंधित जानकारी ई-मेल व व्हाट्सएप में भेजी जायेगी।

45/5
21/9/2020
प्रो. चंदा बैन
समन्वयक
रेमेडियल कोचिंग सेन्टर
डॉ. हरीसिंह गौग वि.वि. सागर (म.प्र.)